

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 मई 2019—ज्येष्ठ 8, शक 1941

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2019

क.एफ 02-01/2018/1/59, — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 6, 7 एवं 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
6	सहायक संचालक आयुर्वेद/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/आर.एम.ओ. (आयुर्वेद)/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद)	मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग द्वितीय श्रेणी सेवा	22 वर्ष	40 वर्ष	(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सी.सी. आई.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद में स्नातक उपाधि। (ख) विधि द्वारा स्थापित राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड परिषद मध्यप्रदेश में पंजीकृत। (ग) आवेदन की अंतिम तिथि तक इन्टरनशिप पूर्ण एवं म.प्र.आयुर्वेदिक, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से स्थायी जीवित पंजीयन अनिवार्य है।	

1	2	3	4	5	6	7
7	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/महिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आर.एम.ओ. (होम्योपैथी)/आयुष चिकित्सक (होम्योपैथी)/सहायक अधीक्षक, होम्योपैथी चिकित्सालय	-तदेव-	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) विधि द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद में पंजीकृत। (ग) आवेदन की अंतिम तिथि तक इन्टर्नशिप पूर्ण एवं मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद/बोर्ड से स्थायी जीवित पंजीयन अनिवार्य है।	
8	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	-तदेव-	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में सी.सी.आई.एम.द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) विधि द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी बोर्ड में पंजीकृत। (ग) आवेदन की अंतिम तिथि तक इन्टर्नशिप पूर्ण एवं मध्यप्रदेश.आयुर्वेदिक,यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से स्थायी जीवित पंजीयन अनिवार्य।	

No.F- 02-01/2018/1/59, .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Ayush Department (Gazetted) Services Recuritment Rules, 2013 namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule -III, for Serial numbers 6 ,7 and 8 and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S.N.	Name of the Post	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Education Qualification and experience	Reamark
1	2	3	4	5	6	7
6	Assistant Director, Ayurved / Ayurvedic Medical Officer/ (R.M.O.) Ayurveda Medical Officer / Ayush Doctor Ayurved	Government of Madhya Pradesh Ayush Department Class-II Service	22	40	(a) Graduate degree in Ayurved recognized by C.C.I.M. from an university established by law. (b) Registered in Madhya Pradesh State Ayurved board Council established by law. (c) Completion of intership till the last date of application and permanent live registration from Madhya Pradesh Board of Ayurvedic, Unani, Prakritik Chikitsa Board are Compulsory.	

1	2	3	4	5	6	7
7	Homeopathic Medical Officer /Female Homeopathic Medical Officer/ R.M.O.(Homeo) /Ayush Doctor (Homeo) /Assistant Superintendent, Homoeopathy Hospital.	-do-	22	40	(a) Graduate degree recognised by C.C.H. from an university established by law. (b) Registered in Madhya Pradesh State Homeopathy Council established by law. (c) Completion of intership till the last date of application and permanent live registration from Madhya Pradesh Board of Homeopathy Council are Compulsory.	
8	Unani Medical Officer	-do-	22	40	(a) Graduate degree in Unani System of Medicine recognised by C.C.I.M. from an university established by law. (b) Registered in Madhya Pradesh State Ayurved and Unani board established by law. (c) Completion of intership till the last date of application and permanent live registration from Madhya Pradesh Board of Ayurvedic, Unani, Prakritik Chikitsa Board Compulsory.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.